प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 113/2008

याचिकाकर्ता:

प्रशांत दवे, आयु लगभग 40 वर्ष, पिता स्व. दुर्गाशंकर दवे, निवासी पंडरी पोस्ट ऑफिस के पीछे, पंडरी, रायपुर, दुकान-शारदा चौक, पुलिस चौकी के सामने, एम.जी. रोड, चौक, रायपुर, तहसील एवं जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

विरुद्ध

उत्तरवादी:

श्रीमती शकुंतला देवी, आयु लगभग 53 वर्ष, पति स्व. रावलदास नगरानी, निवासी पंचशील नगर, रायपुर, तहसील एवं जिला रायपुर, वर्तमान पता: द्वारा ओम कृष्णा जूस कॉर्नर, शारदा चौक, रायपुर (छत्तीसगढ़)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन रिट याचिका</u>

उपस्थिति :

श्री संजय एस. अग्रवाल, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता।

श्री क्षितिज शर्मा, उत्तरवादी के अधिवक्ता।

// मौखिक आदेश //

(दिनांक 21.02.2008)

सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश द्वारा :

1. तर्क सुने गए ।

2. याचिकाकर्ता/वादी ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन यह रिट याचिका प्रस्तुत की है, जिसमें चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-**II**, रायपुर द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक 123-**A**/2006 में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 24.09.2007 (संलग्नक पी/5) की विधिमान्यता को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा, उक्त न्यायालय ने व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 6 नियम 17 सहपठित धारा 151 के अधीन प्रस्तुत उसके आवेदन को खारिज कर दिया है।

3. संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता/वादी ने, स्वयं को किरायेदार होने का दावा करते हुए, शाश्वत व्यादेश हेतु एक वाद प्रस्तुत किया, जिसमें निवेदन किया गया था कि प्रत्यर्थी/उत्तरवादी को वादग्रस्त दुकान पर उसके आधिपत्य में हस्तक्षेप करने से रोका जाए और उसे उक्त दुकान से अवैध रूप से बेदखल करने से भी रोका जाए। इससे पूर्व, याचिकाकर्ता ने अस्थायी व्यादेश का भी दावा किया था, किन्तु अस्थायी व्यादेश के उसके दावे को विचारण न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था। तत्पश्चात, अपीलीय न्यायालय द्वारा विविध अपील खारिज कर दी गई और अंततः, इस न्यायालय द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन प्रस्तुत रिट याचिका भी खारिज कर दी गई। ऐसी खारिजी के पश्चात ही, वादपत्र के संशोधन हेतु उक्त आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसमें, वादी ने बेदखली के संबंध में अभिवचन सम्मिलित करने के साथ-साथ उत्तरवादी के विरुद्ध आधिपत्य के अनुतोष का भी दावा किया था। उक्त आवेदन का उत्तरवादी द्वारा इस आधार पर विरोध किया गया था कि संशोधन के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माध्यम से चाहा गया अनुतोष समय द्वारा वर्जित था और चूंकि वादी द्वारा विरोधाभासी अभिवचन लिया जा रहा था, इसलिए इसे अनुमत नहीं किया जाना चाहिए।

4. विचारण न्यायालय ने आक्षेपित आदेश द्वारा आवेदन को मुख्यतः इस आधार पर खारिज कर दिया कि वादी द्वारा दावा किया गया अनुतोष परिसीमा द्वारा वर्जित था और उस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए, इसने वादी की बेदखली की तिथि के संबंध में पक्षकारों द्वारा उठाए गए विवाद के साथ-साथ भारतीय परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 64 के प्रावधानों की प्रयोज्यता के संबंध में प्रवेश किया और इसने विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 6 के प्रावधानों का भी संदर्भ दिया और निष्कर्ष निकाला कि वास्तव में, दावा किया गया अनुतोष विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 6 के अधीन वर्जित था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि विचारण न्यायालय ने परिसीमा के कारण इसकी पोषणीयता के आधार पर चाहे गए संशोधन के गुणागुण के विवाद में प्रवेश कर विधिक भूल की है। उन्होंने तर्क दिया है कि विचारण न्यायालय के लिए तथ्य और विधि के मिश्रित प्रश्न पर प्रवेश करने का यह उचित चरण नहीं था और विचारण न्यायालय को संशोधन आवेदन को अनुमत करना चाहिए था और तत्पश्चात यदि लिखित कथन में ये आधार लिए जाते, तब, इसे वादप्रश्न विरचित कर और पक्षकारों को अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने और बिंदु पर बहस करने के लिए बुलाकर परिसीमा के प्रश्न का विनिश्चय किया जाता।

6. दूसरी ओर, उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश का समर्थन किया है।

7. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को विस्तार से सुना है और रिट याचिका के अभिलेखों का भी अवलोकन किया है।

8. उच्चतम न्यायालय ने **चरण दास बनाम अमीर खान ए.आई.आर. 1921 पी.सी. 50, एल.जे. लीच एंड कंपनी लिमिटेड बनाम जार्डिन स्किनर एंड कंपनी ए.आई.आर. 1957 एस.सी. 357**, **गंगा बाई बनाम विजय कुमार (1974) 2 एस.सी.सी. 393** और **गणेश ट्रेडिंग कंपनी बनाम मोजी राम (1974) 2 एस.सी.सी. 91** के प्रकरणों में दिए गए निर्णयों का संदर्भ देते हुए, **बी.के. नारायण पिल्लई बनाम परमेश्वरन पिल्लई (2000) 1 एस.सी.सी. 712** के प्रकरण में अभिनिर्धारित किया है कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 का प्रयोजन और उद्देश्य किसी भी पक्षकार को अपने अभिवचनों को ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों पर परिवर्तित या संशोधित करने की अनुमति देना है जो न्यायसंगत हों। संशोधन की अनुमति देने की शक्ति विस्तृत है और विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के आधार पर न्याय के हित में कार्यवाहियों के किसी भी चरण में प्रयोग की जा सकती है। यह सत्य है कि संशोधन का दावा अधिकार के रूप में और सभी परिस्थितियों में नहीं किया जा सकता है। किन्तु यह भी उतना ही सत्य है कि न्यायालयों को ऐसे निवेदनों का विनिश्चय करते समय अति-तकनीकी दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए। उदार

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दृष्टिकोण इसका सामान्य नियम होना चाहिए विशेषकर उन मामलों में जहाँ दूसरे पक्ष को वाद-व्यय से क्षतिपूर्ति दी जा सकती है। विधि की तकनीकीताओं को पक्षकारों के बीच न्याय वितरण में न्यायालयों को बाधित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अभिवचनों में संशोधन की अनुमति मुकदमेबाजी की अनावश्यक बहुलता से बचने के लिए दी जाती है।

9. आगे **रघु तिलक डी. जॉन बनाम एस. रायप्पन और अन्य, (2001) 2 एस.सी.सी. 472** के प्रकरण में, जहाँ चाहा गया संशोधन परिसीमा द्वारा वर्जित होने का दावा किया गया था, उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि संशोधन की अनुमति देने का प्रमुख उद्देश्य मुकदमेबाजी को कम करना है और जब यह तर्क कि संशोधन के माध्यम से चाहा गया अनुतोष समय द्वारा वर्जित था, मामले की परिस्थितियों में तर्कसंगत हो और परिसीमा का तर्क विवादित हो, तो प्रार्थित संशोधन की अनुमति देने के बाद इसे वादप्रश्न का विषय बनाया जा सकता है, और इस आधार पर, इसने निर्देश दिया कि संशोधन अनुमत किया जाए और विवादित मामले को एक वादप्रश्न का विषय बनाया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. यदि हम इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उपरोक्त सिद्धांतों को लागू करते हैं, तो यह प्रतीत होगा कि पूर्व में वादी ने शाश्वत व्यादेश हेतु एक वाद प्रस्तुत किया था और जब वह उच्च न्यायालय में भी अस्थायी व्यादेश के मामले में हार गया, तब उसने मुख्यतः आधिपत्य के अनुतोष को सम्मिलित करने के लिए व्यवहार प्रक्रिया संहिता

के आदेश 6 नियम 17 के अधीन वादपत्र के संशोधन हेतु एक आवेदन प्रस्तुत किया। वादी द्वारा संशोधन के लिए उठाए गए अभिवचन और इस संबंध में प्रतिवादी द्वारा किए गए विरोध से यह स्पष्ट होता है कि उनके संदर्भ में विनिश्चय किया जाने वाला बिंदु तथ्य और विधि का एक मिश्रित प्रश्न था और विचारण न्यायालय ने संशोधन आवेदन का विनिश्चय करने के चरण में उस बिंदु का विनिश्चय करने में प्रवेश करते हुए स्पष्ट रूप से विधिक भूल की है, जबकि, सभी औचित्य में, उठाए गए बिंदु को वादपत्र में सम्मिलित करने की अनुमति दी जानी चाहिए थी और फिर, बिंदु पर एक वादप्रश्न विरचित करने के बाद एक निष्कर्ष अभिलेखित किया जाना चाहिए था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. इस मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, इस न्यायालय के अभिमत में, उक्त आधारों पर, याचिकाकर्ता/वादी द्वारा प्रस्तुत याचिका स्वीकार किए जाने योग्य है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश अपास्त किए जाने योग्य है।

12. तदनुसार, विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 24.09.2007 अपास्त किया जाता है। वादी द्वारा प्रस्तुत संशोधन आवेदन अनुमत किया जाता है।

13. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि उत्तरवादी वादी द्वारा उठाए गए अभिवचनों के संबंध में परिसीमा के तर्क सहित लिखित कथन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होगा और परिसीमा का प्रश्न विधि के अनुसार विचारण के दौरान विचारण न्यायालय द्वारा विनिश्चय हेतु खुला रहेगा।

14. वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur